

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k\_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/ग्रुप-8/वी.सी/2016

जयपुर, दिनांक :- 22/05/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त, (राजस्थान)।

विषय - राज्य स्तर पर योजनाओं की प्रगति के संबंध में बैठक बाबत।  
सन्दर्भ :- विभागीय आदेश समसंख्यक दिनांक 16.05.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित विभागीय आदेश दिनांक 16.05.2019 के अनुसार IWMS पर दर्ज सूचनाओं को प्रमाणित करने तथा जिले के वास्तविक आंकड़ों एवं IWMS के आंकड़ों की समानता हेतु दिनांक 28.05.2019 से बैठक आयोजित की जावेगी। बैठक में निम्न तिथि अनुसार राज्य मुख्यालय पर प्रत्येक जिले से परियोजना अधिकारी(लेखा), अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी)/योजना प्रभारी एवं समस्त योजना लिपिक उपस्थित होंगे:-

क्र.सं.	दिनांक	जिले का नाम
1.	28.05.2019	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, झुन्झुनू।
2.	29.05.2019	बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।
3.	30.05.2019	बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा।
4.	31.05.2019	नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सर्वाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर।

उक्त अधिकारी बैठक के समय निम्न सूचनाओं के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें-

1. पत्र क्रमांक प.8(7)ग्रावि/अनु-8/IWMS/2015 दिनांक 14.05.2019 के अनुसार प्रेषित प्रगति रिपोर्ट को CEO/PO(Accounts)/XEn द्वारा रिकार्ड अनुसार प्रमाणित करके लावें।
2. निर्धारित प्रारूप में सूचना तैयार करके लावें जिससे प्रारम्भिक अवशेष, व्यय राशि, समायोजित राशि योजनावार कार्यों की भौतिक प्रगति की स्थिति स्पष्ट हो सके।
3. गुरु गोलवलकर जनभागीदारी योजना में जन सहयोग की उपलब्ध राशि, जन सहयोग से व्यय राशि, 1.04.2019 को पीडी खाते में अवशेष राशि की सूचना।
4. एमएलए लैड योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार Closing & Opening Balance। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में लोक सभा सांसद एवं राज्य सभा सांसद क्षेत्र वार। गुरु गोलवलकर जनभागीदारी योजना, स्वविवेक, डांग, मगरा, मेवात एवं सीमान्त क्षेत्र विकास योजना की निम्न प्रपत्र में संकलित सूचना साथ लावें।

योजना का नाम \_\_\_\_\_ जिले का नाम \_\_\_\_\_

Closing Balance				Opening Balance			
As per IWMS		As per CA Audit		As per IWMS		As per CA Audit	
2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
		Cash	Adv.	Cash	Adv.	Cash	Adv.

5. योजनावार वर्षवार वास्तविक रिकार्ड के अनुसार एवं IWMS Portal के अनुसार व्यय का विवरण

उपलब्ध राशि		व्यय राशि		समायोजित राशि		समायोजित राशि	
IWMS के अनुसार	रिकार्ड के अनुसार	IWMS के अनुसार	रिकार्ड के अनुसार	IWMS के अनुसार	रिकार्ड के अनुसार	IWMS के अनुसार	रिकार्ड के अनुसार
2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19

नोट:- संबंधित सभी आवश्यक प्रमाणिक सूचनाओं के साथ बैठक में भाग लेंगे।

भवदीय,

(हितबल्लभ शर्मा) 22/05/19  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
- 5 जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
- 6 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
- 7 परि. निदे. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (वित्त एवं लेखा), ग्रावि।
- 8 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू), ग्रावि।
- 9 परियोजना अधिकारी(लेखा), जिला परिषद् समस्त राज0।
- 10 अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी)/योजना प्रभारी, जिला परिषद् समस्त राज0।
- 11 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, ग्रावि को बैठक में भाग लेने हेतु।
- 12 परियोजना अधिकारी (एसएपी-1/II) को भेजकर लेख है कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों के जल-पान, भोजन आदि की व्यवस्था करावें।
- 13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 14 सूचना सहायक, ग्रामीण विकास को संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(हितबल्लभ शर्मा) 22/05/19  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)